

कार्यालय-जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई परिसर में दिनांक 18.05.2019 को अपरान्ह 02.30 बजे से 03:00 तक मुख्यालय परिसर स्थित कैंथा 01 अदद, नीम 03 अदद, शीशम 01 अदद, पीपल 02 अदद कुल 07 अदद पेड़ों की नीलामी की जाना है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेकर लाम उठाये। बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश के पास सुरक्षित होगा। अन्तिम बोली बोलने वाले व्यक्ति को अन्तिम बोली की सम्पूर्ण धनराशि सिविल कोर्ट अमीन के पास तुरन्त जमा करनी होगी। बोली बोलने के पूर्व प्रत्येक बोली कर्ता को मु० 5000/- (पांच हजार रू० मात्र) की धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी। जो बाद नीलामी वापिस/ समायोजित की जायेगी। उक्त नीलामी प्रक्रिया नीलामी समिति जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई की उपस्थिति में जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई के प्रॉगण में सम्पन्न की जावेगी। पेड़ को काटने एवं एक सप्ताह के अन्दर लकड़ी ले जाने तथा किसी भी सम्पत्ति एवं जान माल की क्षति का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा एवं इस आशय का सम्बन्धित ठेकेदार का उसी दिवस को अनुबन्ध दाखिल करना होगा। अन्तिम बोली बोलने वाला यदि बोली की सम्पूर्ण धनराशि बोली के उपरान्त जमा नहीं कर सकेगा तो उसकी जमानत की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगी। अन्य आवश्यक जानकारी नियत तिथि को नीलामी स्थल से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त नीलामी की सूचना जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई की वेबसाइट "[ecourts.gov.in/jalaun](http://ecourts.gov.in/jalaun)" पर भी उपलब्ध है।

दिनांक:-10.05.2019

अध्यक्ष

कय समिति/

विशेष न्यायाधीश(एस०सी०एस०टी० एक्ट)  
जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

प्रतिलिपि सेवा में:-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश जालौन स्थान उरई को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कार्यालय जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. अधिशाषी अभियन्ता सा०नि०वि०, उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को निःशुल्क प्रचार प्रसार करवाने हेतु।
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जजशिप उरई को सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
7. दैनिक कर्मयुग प्रकाश उरई को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. बाह्य स्थित न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. अमीन (प्रथम)सिविल कोर्ट को तुरन्त मुनादी एवं विस्तृत प्रचार एवं प्रसार कराने हेतु।
10. कम्प्यूटर अनुभाग जिला जजी उरई को जनपद न्यायालय उरई की वेबसाईट पर प्रदर्शित करवाये जाने हेतु।
11. कार्यालय प्रमाणीय वन अधिकारी जालौन स्थान उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

दिनांक:-10.05.2019

अध्यक्ष

कय समिति/

विशेष न्यायाधीश(एस०सी०एस०टी० एक्ट)  
जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई।

विशेष न्यायाधीश  
जनपद न्यायालय, जालौन स्थान उरई